

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/12

जयपुर, दिनांक 27/7/2026

:: आदेश ::

नवसृजित 04 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, संख्या 2, पोकरण जिला-जैसलमेर/धौरीमन्ना जिला-बालोतरा/मनोहरथाना जिला-झालावाड़/रामगढ जिला-अलवर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक तथा इनके स्टाफ के पद लेखामद 2014-00-114-01-00-01 (राज्यनिधि) में निम्नानुसार पदों के सृजन की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बैंड/ग्रेड पे
1	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग)	04	21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
2	कनिष्ठ सहायक	04	5200-20200, ग्रेड पे- 2400/- (एल-5)

नोट:-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय के लिए 01-01 होमगार्ड की सेवाएं लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त नव सृजित पदों का कार्यालय वार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पदों का विवरण	
		पद नाम	संख्या
1	कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, संख्या 2, पोकरण जिला जैसलमेर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	1
		कनिष्ठ सहायक	1
		होमगार्ड	1
2	कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, धौरीमन्ना जिला बालोतरा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक,	1
		कनिष्ठ सहायक	1
		होमगार्ड	1
3	कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मनोहरथाना जिला झालावाड़	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	1
		कनिष्ठ सहायक	1
		होमगार्ड	1
4	कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, रामगढ जिला अलवर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक	1
		कनिष्ठ सहायक	1
		होमगार्ड	1

उपरोक्त नवसृजित कार्यालयों हेतु नवीन आईटम हेतु लेखामद 2014-00-114-01-00-05 कार्यालय व्यय (राज्य निधि) में उपलब्ध प्रावधान में से व्यय करने की सहमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है, यह उपापन राजस्थान लोक उपापन में

27-7-26

पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुये किया जावे:-

क्र०सं०	फर्नीचर का नाम	संख्या	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय
1	टैबिल	8 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 02)	10000 /-	80,000 /-
2	कुर्सी	32 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 08)	4000 /-	1,28,000 /-
3	आलमारी	8 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 02)	15,000 /-	1,20,000 /-
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	प्रत्येक कार्यालय हेतु 10000 /-रु०	10,000 /- प्रति कार्यालय	40,000 /-
			योग	3,68,000 /-

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं उपरोक्त फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं० 102600531 दिनांक 24.07.2026 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

Sel
(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर/बालोतरा/झालावाड़/अलवर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं० 2 पोकरण-जैसलमेर/धौरीमन्ना-बालोतरा/मनोहरस्थाना-झालावाड़/रामगढ़-अलवर।
7. जिला कलक्टर, जैसलमेर/बालोतरा/झालावाड़/अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आइटम वर्ष 2026-27 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए क्रय कर संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध करवाया जाना तथा उपरोक्त कार्यालयों में होमगार्ड की सेवायें भी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, जैसलमेर/बालोतरा/झालावाड़/अलवर।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

प्रमोद कुमार
शासन सचिव, विधि 21.07.26